न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/147/2015

उनवान

1. भूरा पिता नन्दा बलाई निवासी रामचन्द्र जी का खेडा तहसी माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती रूकमा विधवा नोला बलाई निवासी रामचन्द्र जी का खेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 107/2007 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.3.2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री आर एल विजयवर्गीय, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री आर सी सारस्वत ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 24.1.2010

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता नंदा पिता नाना बलाई को ग्राम रामचन्द्र जी का खेडा पटवार हल्का श्यामपुरा की शरहद में साबिक आराजी नम्बर 33 में से 10 बीघा भूमि आवंटन की गई तथा आवंटन सुदा भूमि को मौके

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पर पैमूद की जाकर उसका नम्बर 33/12 रकबा 10 बीघा कायम किया गया । जिसका इन्द्राज जमाबंदी परिवर्तनशील संवत 2026 में अंकित किया गया । वादी के पिता ने लगान जमा कराया है । वादी के पिता नंदा पिता नाना का देहान्त हो जाने के पश्चात वादी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त आवंटित साबिक आराजी नम्बर 33 मीन जिसमें से वादी के पिता को 10 बीघा भूमि आवंटित की गई जिसके नये नम्बर 280/245/99 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा कायम किया गया । वादी व के पिता एवं वादी ने उक्त आवंटित भूमि को किसी भी व्यक्ति को रहन, विक्रय, बक्षीस वगैरह नहीं की है। वादग्रस्त आराजी नम्बर 280/245/99 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा पर प्रतिवादिया रूकमा का कोई हक व हिस्सा स्वामित्व नहीं है। किन्तु दौराने सेटलमेण्ट में वादग्रस्त आराजी नम्बर 280/245/99 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा बिना किसी आधार एवं न्यायालय के आदेश के बिना प्रतिवादिया रूकमा के नाम पर गलत अंकित कर दी । जबकि रूकमा नोला बलाई की पत्नि है। भू प्रबन्ध के दौरान किया गया उक्त इन्द्राज वादी के मुकाबले शून्य प्रभावी है। वादी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है चूंकि वह निरन्तर लगान जमा करा रहा है।

2. वादग्रस्त आराजी नम्बर 280/245/99 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा प्रतिवादिया के नाम गलत तौर से दर्ज हो जाने के कारण वह वादी के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी करने लग गई है। अगर प्रतिवादिया द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी को किसी अन्य को स्थानान्तरण कर दी गई या वादी को बेदखल कर दिया गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। दिनांक 20.5.2007 को प्रतिवादिया ने वादग्रस्त आराजी को स्थानान्तरित करने एवं वादी को बेदखल करने की धमकी दी है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार करते

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

हुए ग्राम रामचन्द्र जी का खेडा स्थित वादग्रस्त आराजी नम्बर 280/245/99 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादिया रूकमा का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे तथा साथ ही वादग्रस्त आराजी नम्बर 280/245/99 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा जिस पर वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है को प्रतिवादी किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं करें एवं न ही उसका पंजीयन करावे तथा वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे इस बाबत भी स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादिया को पाबन्द किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये उसके उपरान्त ओलावृष्टि होने से प्रार्थी की फसल नष्ट हो गई। प्रार्थी की फसल नष्ट हो जाने से प्रार्थी के पास आय का कोई साधन नहीं रहा । जिस कारण वह महाराष्ट्र में कमा खाने चला गया । बरसात होने पर प्रार्थी पुनः गांव आया एवं अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो जानकारी हुई कि प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया है। उसके उपरान्त प्रार्थी ने अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया एवं नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधि एवं तथ्यों के विपरित होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी के पिता नंदा पिता नाना बलाई को ग्राम रामचन्द्र जी का खेडा पटवार हल्का श्यामपुरा की शरहद में साबिक आराजी नम्बर 33 में से 10 बीघा भूमि आवंटन की गई। वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का आधिपत्य चला आ रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 का वादग्रस्त आराजी पर कभी आधिपत्य नहीं रहा, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद पत्र को निरस्त करने में विधिक भूल की है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आवंटनसुदा आराजी नम्बर 33/12 रकबा 10 बीघा जिसके नये नम्बर 280, 245, 99रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा पडे है जो जमाबंदी परिवर्तनशील में नंदा पिता नाना बलाई के नाम अंकित है जिसे भू प्रबन्ध के दौरान बिना किसी आधार के नौला पिता नाना के नाम पर गलती से अंकित करदिया, जबकि वादग्रस्त आराजियात पर नंदा का एवं नंदा के उपरान्त अपीलाण्ट का कब्जा चला आ रहा है। जो वादी की ओर से प्रस्तुत गवाह से पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ है उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी का वाद खारिज करने में गंभीर त्रुटि की है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी के पिता का आवंटन के पश्चात से कब्जा चला आ रहा था एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलाण्ट का कब्जा चला आ रहा है इस प्रकार अपीलार्थी का वादग्रस्त भूमि पर 1988 से पूर्व अर्थात 40 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है। अतः वादी के सभी अधिकार लम्बे समय से आधिपत्य के कारण परिपक्व हो चुके है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थीया के पति नोला का कभी भी आधिपत्य किसी भी रूप में नहीं रहा है मात्र जमाबंदी की प्रविष्टि के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

10. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

11. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 280/245/99 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा प्रत्यर्थीया के पति को आवंटित हुई थी। वादग्रस्त आराजियात प्रत्यर्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त आराजियात का अपीलार्थी का कोई संबंध नहीं है। न ही वादग्रस्त आराजियात अपीलार्थी के पिता को आवंटित हुई थी। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा कोई गलती से वादग्रस्त आराजियात प्रत्यर्थीया के नाम पर दर्ज नहीं की गई है। अपीलार्थी ने गलत तथ्य प्रस्तुत किये हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तीन तनकियात कायम की ।

1. आया वादग्रस्त आराजियात वादी के पिता को आवंटन हुई थी । आवंटन के बाद से ही भूमि वादी के कब्जे

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

काश्त में चली आ रही है सेटलमेण्ट ऑफिसर द्वारा बिना किसी आधार के गलत रूप से प्रतिवादिया के खाते में दर्ज कर दी है। जिम्मे.. वादी

2. आया वादी अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा एवं रहन विकय से हस्तानान्तरित होने की संभावना होने से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिम्मे वादी
3. आया विवादग्रस्त भूमि वादिया के पति को अलोट हुई थी धारा 80 सी पी सी के नोटिस के अभाव में दावा खारिज योग्यहै। खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। जिम्मे प्रतिवादी
4. आया अनुतोष क्या होगा ।

13. प्रकरण में वादी की ओर से स्वयं के बयान पी डब्ल्यू 1 पंजीबद्ध कराये एवं राजस्व दस्तावेजात के रूप में जमाबंदी प्रदर्श 1 एवं जमाबंदी परिवर्तनशील प्रदर्श 2 , ढाल बांछ प्रदर्श 3, खसरा प्रदर्श 4 एवं प्रदर्श 5, 6, 7, 8, एवं 9 रसीद प्रस्तुत किये हैं। वादी की ओर से गवाह पी डब्ल्यू 2 नारायण ने वादग्रस्त आराजी के आवंटन के तथ्य को स्वीकार किया है परन्तु उसके द्वारा यह कथन नहीं किया गया है कि वादग्रस्त भूमि ही अपीलार्थी/वादी को आवंटित हुई हो।

14. इसके विपरीत प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्वयं 1 बयान डी डब्ल्यू 1 पंजीबद्ध कराये । उक्त गवाह ने कथन किया कि " मेरे खातेदारी की भूमि ग्राम रामचन्द्र जी का खडामें स्थित होकर 13 बीघा भूमि पर मेरा कब्जाकाश्त चला आ रहा है। पहले उक्त भूमि मेरे पति नोला के नाम पर थी। नोला की मृत्यु के बाद उक्त भूमि प्रत्यर्थीया के नाम पर दर्ज की गई। जबकि वादी ने स्वयं ने वादग्रस्त आराजियात पर पिछले 15 साल से प्रतिवादिया/प्रत्यर्थीया का कब्जा होना स्वीकार किया है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

15. वादी को अपना वाद पर्याप्त साक्ष्य, सबूत से साबित कराना था। वादी द्वारा तनकी नम्बर 1 को साबित कराने के संबंध में मूल आवंटन पत्रावली, भूमि सुपुर्दगी तथा दखलनामा एवं इकरारनामा नक्शा ट्रेस इत्यादि साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत नहीं किये हैं जबकि प्रतिवादी/प्रत्यर्थीया द्वारा नकल जमाबंदी संवत 2032 से 2035 प्रस्तुत की । जिसके अनुसार रामचन्द्र जी का खेडा के आराजी नम्बर 280/245/99 प्रतिवादिया/प्रत्यर्थीया के पति नोला पिता नाना के नाम पर आवंटित की गई तथा नकल जमाबंदी संवत 2045 से 2048 के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रत्यर्थीया के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है।

16. तनकी नम्बर 3 को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर थी जिसे प्रतिवादिया ने राजस्व रेकार्ड से बखूबी साबित कराया है वादग्रस्त भूमि पर कब्जा भी प्रत्यर्थीया/प्रतिवादिया का होना प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में खातेदार काश्तकार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधिसम्मत नहीं होने से तनकी नम्बर 3 का निर्णय प्रतिवादिया के पक्ष में किया गया है।

17. वादग्रस्त भूमि का अपीलार्थी के पक्ष मे आवंटन होना अपीलार्थी साबित नहीं करा पाया है एवं वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा होना भी साबित नहीं करा पाया है। अपीलार्थी/वादी अपना वाद पर्याप्त साक्ष्य सबूत से साबित कराने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात, गवाहान के बयान का अवलोकन कर तनकीवाईज निर्णय पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

18. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, पीलवाड़ा

डिक्री दिनांक 2.3.2015 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

19. निर्णय आज दिनांक 24.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री के सी लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/147/2015

उनवान

1. भूरा पिता नन्दा बलाई निवासी रामचन्द्र जी का खेडा तहसी माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती रूकमा विधवा नोला बलाई निवासी रामचन्द्र जी का खेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 107/2007 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.3.2015

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/147/2015 मे **उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 24.1.2020 को अपीलाण्ट की ओर से श्री आर एल विजयवर्गीय वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री आर सी सारस्वत एवं राजकीय अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश सोनी की उपस्थिति मे दिनांक 24.1.2020 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि:–

अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2.3.2015 को यथावत रखा जाता है ।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 24.1.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्क्री जारी की जाती है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.01.24 16:49:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: